HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में पत्नी व प्रेमी को 05–05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000–10,000/–रुपये (कुल–20,000/–रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 06-09-2025 को मा0 न्यायालय द्वारा पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में पत्नी व प्रेमी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

- दिनांक 14-03-2016 को अभियुक्तगण 1–राशिदा पत्नी अलाउद्दीन पुत्री मंगरे उर्फ साजिद निवासी मौ0 आजाद नगर कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ, हाल पता–मौ0 अंसारियान बक्सर थाना सिम्भावली जनपद हापुड द्वारा अपने प्रेमी 2–दिलशाद उर्फ दिल्लू पुत्र नवाब निवासी मौ0 राम नगर कस्बा व थाना किला परिक्षितगढ जनपद मेरठ् के साथ मिलकर अपने पति अलाउद्दीन को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0 165/2016 धारा 306 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 07-04-2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 06-09-2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम हापुड़ द्वारा 05–05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000–10,000/–रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री नरेश चन्द शर्मा (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री तेजपाल सिंह एवं पैरोकार का0 अनुज कुमार व कोर्ट मोहर्रिर म0है0का0 अन्जु का विशेष योगदान रहा।